महोबा पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 29.12.2024

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक- 29.12.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

मिशन शक्ति अभियान फेज-5.0 के अन्तर्गत महिला सशक्तिकरण हेतु विशेष अभियान के अंतर्गत जनपदीय मिशन शक्ति पुलिस टीम द्वारा थानाक्षेत्र में भ्रमण कर बालिकाओं एवं महिलाओं को उनके अधिकारों के विषय में किया गया जागरुक-

शासन की मंशा के अनुरूप महिलाओं एवं बालिकाओं को स्वावलंबी, सशक्त बनाने और सुरक्षित माहौल प्रदान करने तथा उनके अधिकारों के सम्बंध में उनको जागरूक करने व उनके साथ घटित होने वाले अपराधों पर प्रभावी रोकथाम तथा उनमें सुरक्षा/आत्मविश्वास की भावना जागृत करने के उद्देश्य से समग्र अभियान "मिशन शक्ति फेज-5.0 अभियान" चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में जनपद महोबा में पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक- 29.12.2024 को नारी सुरक्षा/नारी सम्मान/नारी स्वावलंबन के प्रति जनपद के समस्त थानों की शक्ति दीदी/महिला बीट आरक्षियों/एण्टीरोमियों टीम द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रान्तर्गत स्कूल/कालेज/बीट/गांव आदि में जाकर मिशन शक्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत जागरुकता कार्यशाला एवं चौपाल लगाकर बालिकाओं एवं महिलाओं की शिकायतों एवं समस्याओं की सुनवाई की गयी तथा "मिशन शक्ति फेज-05" के सम्बन्ध में सभी बालिकाओं/महिलाओं को जागरूक किया गया, उनकी समस्याओं को सुनते हुए उन्हें मनचलों, अराजक तत्वों से निपटने तथा आत्मरक्षा करने के लिए आवश्यक आत्मरक्षात्मक गुण सिखाये गये इसके साथ ही उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस एव शासन द्वारा बालिकाओं/महिलाओं की सुरक्षा एवं सहायता हेतु संचालित विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों जैसे- 1090-वुमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076–मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन, 102-स्वास्थ्य सेवा, साइबर हेल्पलाइन 1930 तथा थानों पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तृत जानकारी के साथ-साथ महिला सशक्तिकरण से संबंधित उ0प्र0 शासन की विभिन्न योजनाओं व प्राथमिकताओ के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित कर जागरूक किया गया।

थाना महोबकंठ की पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

आगामी महाकुम्भ-2025 के दृष्टिगत जनपद प्रयागराज में होने वाले महाकुम्भ मेले के आयोजन को सकुशल सम्पन्न कराने एवं सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज, जोन प्रयागराज द्वारा दिनांक 25.12.2024 से चलाये जा रहे विभिन्न चेकिंग अभियानों के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु अवैध शराब की बिक्री, परिवहन एवं निष्कर्षण पर प्रभावी रोक एवं ऐसे क्रियाकलापों में शामिल अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में दिनांक- 28.12.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष महोबकंठ श्री गणेश कुमार द्वारा गठित की गई उ0नि0 राजेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त अनिल राजपूत पुत्र स्व0 मर्दन सिंह उम्र करीब 24 वर्ष निवासी ग्राम अमानपुरा थाना महोबकंठ जनपद महोबा जिसके कब्जे से 01 सफेद बोरी में 20 अदद क्वार्टर अवैध देशी शराब झूम ब्राण्ड नाजायज बरामद करते हुए ग्राम रूरीकला के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-236/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त-

अनिल राजपूत पुत्र स्व0 मर्दन सिंह उम्र करीब 24 वर्ष निवासी ग्राम अमानपुरा थाना महोबकंठ जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 राजेश कुमार
2. आरक्षी अमित कुशवाहा

कुटरचित आधार एवं पैन कार्ड बनवाकर धोखाधडी करने वाले 04 नफर अभियुक्तो को थाना चरखारी की पुलिस टीम ने किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 29.12.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी (अतिरिक्त प्रभार) श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में थाना चरखारी थानाध्यक्ष श्री प्रवीण कुमार सिंह द्वारा गठित की गयी उ0नि0 अनूप कुमार पाण्डेय मय हमराह कां0 राहुल यादव व म0का0 आकांक्षा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कूटरचित आधार एवं पैन कार्ड बनाकर धोखाधड़ी किये जाने के सम्बन्ध में थाना चरखारी में पंजीकृत किये गये मु0अ0सं0 210/24 धारा 419/468/109/120B/420/467/471 भादवि व धारा 35 आधार अधिनियम 2016 से सम्बन्धित 04 नफर वांछित अभियुक्तगण क्रमशः 1.बाबूलाल नायक पुत्र स्व0 रामदयाल उम्र करीब 56 वर्ष निवासी ग्राम जरौली थाना खरेला जनपद महोबा 2. देवेन्द्र कुमार पुत्र श्रीपत नायक उम्र करीब 28 वर्ष निवासी ग्राम उजनेडी थाना चरखारी जनपद महोबा 3.संजय तिवारी पुत्र केशव प्रसाद तिवारी उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम रिवई थाना चरखारी जनपद महोबा 4.लवली पत्नी बृजेन्द्र कुमार राजपूत उम्र करीब 32 वर्ष निवासी मु0 सिकन्दरपुरा कस्बा व थाना राठ जनपद हमीरपुर मूल पता ग्राम रोरो करहरा थाना राठ जनपद हमीरपुर को थानाक्षेत्र के काकुन तिराहा वहद ग्राम रिवई थाना चरखारी जनपद महोबा से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार शुदा अभियुक्तों को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली टीम -

1. उ0नि0 अनूप कुमार पाण्डेय चौकी प्रभारी रिवई
2. का0 राहुल यादव
3. म0कां0 आकांक्षा

गिरफ्तार अभियुक्त-----------------------------

(1) बाबूलाल नायक पुत्र स्व0 रामदयाल उम्र करीब 56 वर्ष निवासी ग्राम जरौली थाना खरेला

(2) देवेन्द्र कुमार पुत्र श्रीपत नायक उम्र करीब 28 वर्ष निवासी ग्राम उजनेडी थाना चरखारी

(3) संजय तिवारी पुत्र केशव प्रसाद तिवारी उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम रिवई थाना चरखारी

(4) श्रीमती लवली पत्नी बृजेन्द्र कुमार राजपूत उम्र करीब 32 वर्ष निवासी मु0 सिकन्दरपुरा कस्बा व थाना राठ जनपद हमीरपुर मूल पता ग्राम रोरो करहरा थाना राठ जनपद हमीरपुर

महाकुम्भ- 2025 के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन के निर्देशन में प्रचलित अभियानों/ऑपरेशन के तहत ऑपरेशन एम0वी0 के तहत थाना महोबकंठ की पुलिस टीम ने चलाया चेकिंग अभियान, यातायात नियमों की दी जानकारी-

महाकुम्भ-2025 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने व इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने के लिए अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन, श्री भानु भास्कर के निर्देशन में जोन स्तर पर दिनांक- 25.12.2024 से आरम्भ किये गये विभिन्न ऑपरेशन/अभियानों के क्रम में दिनांक- 28.12.2024 को जनपद महोबा की थाना महोबकंठ थानाध्यक्ष श्री गणेश कुमार के नेतृत्व में महोबकंठ की पुलिस टीम ने ऑपरेशन एम0वी0 के थानाक्षेत्र के टोल प्लाजा पर वृहद स्तर पर यातायात जागरुकता अभियान के तहत कार्यवाही कर वाहन चालकों को जागरुक किया गया है।

इस दौरान महोबकंठ पुलिस टीम द्वारा जनपद में घटित होने वाली सड़क दुर्घटना में कमी लाने एवं दुर्घटना मुक्त बनाने हेतु थानाक्षेत्र अन्तर्गत टोल प्लाजा ग्राम धवार में वाहनों की चैंकिंग के माध्यम से वाहनों में बैक लाइट, कोहरा लाइट, रिफ्लेक्टिव टैप लगवाया गया तथा ओवर स्पीड, गलत दिशा में ड्राइविंग के संबंध में वाहनों के चैंकिंग अभियान चलाते हुए ऑडियो संदेश के माध्यम से वाहन चालकों को दिशा निर्देश देकर प्रचार प्रसार किया गया है। साथ ही संदिग्ध वाहनों की सघन चेकिंग की कार्यवाही की गयी है, जिससे जनपद में असामाजिक तत्वों के प्रवेश पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।